मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2011 को सम्पन्न उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्तः–

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की तृतीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2011 को मुख्य सचिव समागार, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3.	श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	श्री एम0एच0 खान, सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	श्री आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
6.	श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण/नोडल अधिकारी	सदस्य
8.	श्री परम जीत सिंह, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, (मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	श्री वाई0पी0 चौहान, मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	श्री एच0पी0 उनियाल, निदेशक, राज्य योजना आयोग (प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य
11	श्री आदित्य कोठारी, अध्यक्ष मातृछाया पर्वतीय विकास समिति	सदस्य
12.	श्री शेखर जोशी, ग्रीन हिल वेलफेयर सोसाइटी	सदस्य
13.	श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	विशेष आमंत्री
14.	श्री विरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	विशेष आमंत्री
15.	श्री एम0ओ0 अंसारी, अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन	विशेष आमंत्री
16.	श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	सदस्य सचिव

समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा उपस्थित आमन्त्रियों का स्वागत करते हुऐ सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गईः–

कार्यसूची 3.1: राज्य कैम्पा की संचालन समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :– राज्य कैम्पा की दिनांक 23.07.2010 को सम्पन्न हुई द्वितीय संचालन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को समिति के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सदस्यगणों द्वारा कार्यवृत्त पर सहमति प्रदान की गई एवं इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया गया –

"संकल्पित कि समिति 23.07.2010 को आयोजित कैम्पा संचालन समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करती है और इस कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाए"।

कार्यसूची 3.2: उत्तराखण्ड कैम्पा का सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण :– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0– 75/x-2-201-7(6)/2004 T.C. दिनांक 31.08.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण का सोसाईटी के रूप में गठन किया गया। इस क्रम में

उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु नियमावली (संगम अनुच्छेद) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा का पंजीकरण सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत दिनांक 18.09.2010 को कराया जा चुका है। उत्तराखण्ड कैम्पा समिति की पंजीकरण संख्या–263/2010–11 है।

उत्तराखण्ड कैम्पा का सोसाइटीज एक्ट में पंजीकरण के क्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि– श्री वाई0पी0 चौहान, मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार की गाईडलाईन में राज्य कैम्पा का सोसाईटी के अन्तर्गत गठन का उल्लेख नहीं है। इस पर विस्तृत चर्चा हुई तथा सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की गाईडलाईन दिनांक 02.07.2009 के Introduction के पैरा संख्या–3 "These guidelines have desired flexibility; therefore the States/UTs would be able to notify the State level CAMPAs keeping in view specific conditions prevailing there." के आधार पर राज्य कैम्पा का सोसाईटी में गठन किया गया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को संबोधित पत्र दिनांक 11.11.2010 के प्रत्युत्तर में दिनांक 30.11.2010 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा स्पष्ट किया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा का गठन राज्य सरकार के विधि विभाग की सहमति उपरान्त भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया गया है। इस क्रम में प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि का भारत सरकार के Adhoc-CAMPA से राज्य के उत्तराखण्ड कैम्पा को Fund Flow, बजट प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं किया जाता है। इस क्रम में कैम्पा निधि के Fund का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु वैधानिक संस्था (Legal Entity) की आवश्यकता के मध्यनजर उत्तराखण्ड कैम्पा का गठन किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय की स्थापना 200/II वसन्त विहार, देहरादून में किये जाने का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति उत्तराखण्ड कैम्पा के PAN/TAN के पंजीकरण एवं 12A/80G में संबंधित आवेदन से अवगत भी हुई।

<u>कार्यसूची 3.3: दिनांक 23.07.2010 को सम्पन्न राज्य कैम्पा की द्वितीय संचालन समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन</u> :– दिनांक 23.07.2010 को सम्पन्न हुई राज्य कैम्पा की संचालन समिति की द्वितीय बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या का प्रस्तुतिकरण सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष किया गया। अनुपालन पर बिन्दुवार समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–

<u>कार्यवृत्त बिन्दु सं0–2.1</u>: बैरियर सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत बनबसा में एक चैक पोस्ट का निर्माण कार्य के प्रस्तुतिकरण पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बैरियर सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत किये गये समस्त कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। **(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डल एवं प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव)**

<u>कार्यवृत्त बिन्दु सं0–2.3</u>: वन्यजीवों द्वारा मारे गये अथवा घायल किये गये व्यक्तियों के मामले में अनुग्रह राशि के भुगतान के मामले में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कल्जीखाल में इस प्रकार के मामले में अनुग्रह राशि भुगतान में बहुत विलम्ब किया जा रहा है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो तथा उचित मुआवजा राशि को रखते हुऐ शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान की व्यवस्था लागू करने के मापदण्डों को बनाया जाये, जिससे कि मुआवजा राशि का भुगतान दस दिन के अन्तर्गत किया जा सके।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर 2010 तक के विगत वर्षों के लम्बित मानव क्षति/घायल सम्बन्धी, मानव वन्यजीव संघर्ष के सभी मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मातृ छाया पर्वतीय विकास समिति के अध्यक्ष श्री आदित्य कोठारी द्वारा मुआवजा राशि को बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया जिस पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अनुग्रह राशि दोगुनी किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 2011 में प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डल)

कार्यवृत्त बिन्दु सं0–2.5: बन्दरों के लिए वनों में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इस सम्बन्ध में फलदार प्रजातियों यथा–अखरोट, पांगर, बहेड़ा, आंवला आदि को वृक्षारोपण में शामिल किए जाने के समिति की पूर्व बैठक में दिये गये सुझाव के अनुपालन के क्रम में रोपित की गई पौध के आंकड़ों का संकलन किए जाने के निर्देश समिति द्वारा दिए गये।

(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा कुमांऊ मण्डल)

कार्यवृत्त बिन्दु सं0–2.7: वन पंचायत प्रहरियों को मानदेय के रूप में प्रोत्साहन भत्ते की राशि के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि 512 वन पंचायतों में वन पंचायत प्रहरियों को रखा गया है तथा उनमें से 434 वन पंचायतों के प्रहरियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है। वन पंचायत प्रहरियों को एक हजार रूपये प्रतिमाह कैम्पा निधि से तथा 500 रूपये प्रतिमाह वन पंचायत की निधि से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

कार्यवृत्त बिन्दु सं0–2.19: अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर मनरेगा की धनराशि का उपयोग बहुत धीमी गति से हो रहा है। अतः वन पंचायतों हेतु नियोजित कार्यों में मनरेगा फण्ड को भी डवटेल करते हुये वन पंचायतों में कार्य करवाया जाये, साथ ही निर्देश दिये कि सभी जिलों के **समन्वयक प्रभागीय वनाधिकारियों को एक–एक करोड़ की धनराशि अविलम्ब मनरेगा से प्रारम्भिक रूप में अवमुक्त की जाये।**

(कार्यवाही: सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत)

कार्यसूची 3.4: उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु विकसित Website एवं Management Information System (MIS) के सम्बन्ध में :– उत्तराखण्ड कैम्पा के महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यों यथा APO का Site Specific नियोजन, निधि के उपयोग की प्रगति, आगामी किश्त क्रियान्वयन अभिकरण को जारी करने तथा अनुश्रवण व मूल्यांकन आदि के लिए विकसित किए गए Management Information System का उपयोग करने हेतु संचालन समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा सुझाव दिया गया कि Username व Password मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास तथा सचिव, वन एवं पर्यावरण को भी दिया जाये जिससे कि उनके द्वारा आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की प्रगति का अवलोकन किया जा सके। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा MIS में समयबद्ध feeding का तथा निदेशक, राज्य योजना आयोग द्वारा Website में फोटोग्राफ्स डालने का सुझाव दिया गया। उत्तराखण्ड कैम्पा की विकसित की जा रही Website पर भी MIS से सृजित महत्वपूर्ण जानकारी एवं अन्य प्रमुख सूचनाओं को पारदर्शिता के दृष्टिकोण से तथा कैम्पा की गतिविधियों में हितभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु upload किए जाने के निर्देश भी समिति द्वारा दिये गए।
(कार्यवाही: समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची 3.5 : वर्ष 2010–11 के अनुमोदित APO के सापेक्ष माह मार्च, 2011 तक की प्रगति :– उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2010–11 की प्रगति का संज्ञान संचालन समिति द्वारा लिया गया तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध रूप से करने तथा उक्त को CAMPA MIS (Management Information System) में क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रत्येक माह प्रविष्टि हेतु निर्देशित किया गया। प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा भौतिक वित्तीय प्रगति के साथ output एवं outcome indicators तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का भी MIS में समावेश करने का सुझाव दिया गया।
(कार्यवाही: समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची 3.6: – उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत संशोधित वार्षिक कार्ययोजना (APO)/बजट 2010–11 का अनुमोदन :– समिति के समक्ष रू. 5350.00 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। उक्त का अवलोकन कर कार्ययोजना में सम्मलित किये गये अतिरिक्त कार्यो पर समिति द्वारा निम्नानुसार सहमति/निर्देश दिये गये:–

3.6.1 **अटल आदर्श योजना:–** अटल आदर्श योजना के अंतर्गत 171 वन पंचायतों हेतु उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–33/x-2-2010-11(32)/2009 दिनांक 11.06.2010 के क्रम में संशोधित

APO 2010–11 के प्रस्ताव में उक्त हेतु रु0 324.85 लाख की शामिल की गई धनराशि पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3.6.2 <u>वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति</u>:– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में पर्याप्त बजट न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2010–11 में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कैम्पा फण्ड से धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में रु0 76.26 लाख की मांग एवं इसकी प्रतिपूर्ति कैम्पा के वैलफेयर फण्ड से करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति के समक्ष रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दायित्व राज्य सरकार का है, अतः चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कैम्पा फण्ड के बजाय राज्य सरकार के बजट से सम्बन्धित मानक मद में ही सिद्धान्ततः किया जाना चाहिए। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को राज्य सरकार से उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव की अपेक्षा प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा की गई। तदनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया। **(कार्यवाही: अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)**

उपरोक्त निर्देशों के साथ मदवार एवं प्रभागवार भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों का अवलोकन कर समिति द्वारा रूपये 5273.74 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना/बजट 2010–11 को अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान की गई जिसका सारांश/संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

वार्षिक कार्ययोजना के घटक	संचालन समिति (23.07.2010) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना	संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11
1–शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)		
1.a वन संरक्षण, अवस्थापना तथा मानव संसाधन विकास	1449.11	1378.07
1.b वन्य जीव प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण	1088.00	1026.21
1.c मृदा एवं जल संरक्षण	726.22	652.60
1.d वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण		
सामान्य	799.50	750.15
अटल आदर्श योजना	0.00	324.85
योग (1.d) –	**799.50**	**1075.00**
1.e विविध गतिविधियां (Allied Activities)		
अनुसंधान सहित विविध गतिविधियां	1113.65	600.37
मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना	280.00	240.95
मुख्यमंत्री हरित विकास योजना	329.93	225.99
योग (1.e) –	**1723.58**	**1067.31**
कुल योग – NPV	**5786.41**	**5199.19**
2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण (C.A.)	0.00	0.00
योग –	**0.00**	**0.00**
3– वन्य जीव प्रबन्धन (P.A.)		
3.a अस्कोट वन्य जीव विहार	40.60	40.60
3.b गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	33.95	33.95
योग –	**74.55**	**74.55**
4–अन्य विशेष गतिविधियां (Others)	0.00	0.00
योग –	**0.00**	**0.00**
5–कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT Plan)		
5.1 लाता–तपोवन	217.60	0.00
5.2 तपोवन–विष्णुगाड़	731.09	0.00
5.3 सिंगोली–भटवाड़ी	247.46	0.00

5.4 फाटा–ब्यूंग	456.87	0.00
5.5 श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	224.97	0.00
5.6 पाला–मनेरी	509.16	0.00
5.7 लोहारीनाग–पाला	586.18	0.00
योग –	2973.33	0.00
महायोग –	8834.29	5273.74

<u>**कार्यसूची 3.7:– वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2011–12 में करने हेतु अनुमोदन:–**</u> वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2011–12 में करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>**कार्यसूची 3.8:– प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना (APO) / बजट 2011–12 का अनुमोदन:–**</u>

Adhoc CAMPA, भारत सरकार से वर्तमान तक प्राप्त धनराशि में से वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना / बजट के लिए धनराशि रू0 5273.74 लाख का प्राविधान किये जाने के उपरान्त वर्ष 2011–12 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना / बजट हेतु रू. 11166.46 लाख के आंकलन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्राप्त धनराशि (लाख में)			संशोधित APO 2010–11 (लाख में)	प्रस्तावित APO 2011–12 (लाख में)
वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11	योग		
8165.32	8274.88	16440.20	5273.74	11166.46

वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 के लिए धनराशि रु0 11166.46 लाख का घटकवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:–

1. NPV घटक	2.क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4.अन्य (Others)	5. CAT Plan	कुल योग
8462.31 लाख	1344.28 लाख	175.85 लाख	263.00 लाख	921.02 लाख	11166.46

वर्ष 2011–12 की चर्चा उपरान्त स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना / बजट का Sectors/Components वार संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है –

Part	Sectors/Components	Approved APO 2011-12 (Rs. in Lakhs)
1	**शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)**	
1.a	वन संरक्षण, अवस्थापना तथा मानव संसाधन विकास	1697.06
1.b	वन्य जीव प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण	942.09
1.c	मृदा एवं जल संरक्षण	1307.90
1.d	वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	2625.00
1.e	अनुसंधान सहित विविध गतिविधियां (Allied Activities)	1890.26
	Total NPV	**8462.31**
2	**क्षतिपूरक वृक्षारोपण (C.A.)**	1344.28
3	**वन्य जीव प्रबन्धन (P.A.)**	
3.a	अस्कोट वन्य जीव विहार	105.20
3.b	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	70.65
	Sub Total	**175.85**
4	**अन्य विशेष गतिविधियां (Others)**	263.00
5	**कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT Plan)**	

5.1	लाता–तपोवन	142.39
5.2	तपोवन–विष्णुगाड़	397.30
5.3	सिंगोली–भटवाड़ी	111.69
5.4	फाटा–ब्यूंग	78.55
5.5	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	191.09
	Total CAT Plan	**921.02**
	Grand Total	**11166.46**

उपरोक्त रू. 11166.46 लाख की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 के वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का अवलोकन कर कार्ययोजना में निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किए जाने पर समिति द्वारा निम्नानुसार सहमति/निर्देश दिये गये:–

<u>3.8.1 मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणाओं का समावेश करने हेतु अनुमोदन</u>:– माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणाओं पर उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में घोषणा स्थल की भूमि के स्वामित्व एवं भूमि उपयोग की जानकारी प्राप्त करते हुए नियमानुसार घोषणा स्थल पर कार्य करवाने हेतु वर्ष 2011–12 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में घोषणावार धनराशि के निम्नानुसार प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया–

क्र0 सं0	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण	सम्बन्धित स्तर (जोन)	वित्तीय प्राविधान का विवरण
1	245/2010	बलभद्र स्मारक स्थल एवं खलंगा किले के आस–पास के क्षेत्र में ईको–टूरिज्म पार्क के विकास हेतु कैम्पा से रु0 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जायेगी	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड	NPV घटक की तालिका 1.e.3.7 Eco Parks के अंतर्गत रु0 50.00 लाख
2	259/2010	तिजम में झील के निर्माण की कैम्पा योजना से स्वीकृति दी जायेगी	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड	NPV घटक की तालिका 1.c.2.1 Rejuvenation of Water Sources and creation of water bodies for recharging of aquifers के अंतर्गत रु0 50.00 लाख,
3	268/2010	रई एवं कुण्ड झील का निर्माण कार्य कैम्पा के द्वारा कराया जायेगा	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड	NPV घटक की तालिका 1.c.2.1 Rejuvenation of Water Sources and creation of water bodies for recharging of aquifers के अंतर्गत रु0 25.00 लाख,

(कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक – गढ़वाल तथा कुमांऊ मण्डल एवं मुख्य वन संरक्षक–ईको टूरिज्म)

<u>3.8.2 वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना</u>–

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष बल दिया गया है। इस क्रम में शासन स्तर पर दिनांक 21.03.2011 को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय अनुसार वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 2625.00 लाख (कुल APO साइज का लगभग 25%) की धनराशि का प्राविधान किया गया। वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु <u>वित्त पोषण</u> की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख–2084/13–2(2) दिनांक 05.04.2011 के द्वारा समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्गत निम्नांकित दिशा–निर्देशों तथा सुझाये गये कार्यों को सम्मलित करने हेतु समिति द्वारा निम्नांनुसार सहमति प्रदान की गई:–

1. 50 है0 से अधिक क्षेत्रफल वाली 1816 वन पंचायतों का प्राथमिकता के आधार पर प्रथम 3–4 वर्षों में प्रतिवर्ष 500 से 600 तक वन पंचायतों का चयन कर न्यूनतम 1.00 लाख की धनराशि वन पंचायतों हेतु निर्धारित मानक एवं उनके क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कैम्पा निधि से उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन एवं तद्नुसार चयनित वन पंचायतों हेतु वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रभाग स्तर पर धनराशि को कार्यमदों में प्रस्तावित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।
2. पंचायती वनों में स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जल संरक्षण, चारा विकास, अवनत वनों का सुधार, ए0एन0आर0, रिक्त क्षेत्र में रोजगारपकरक वृक्षारोपण आदि कार्य प्रस्तावित किए जाने की समति द्वारा सहमति प्रदान की गई जिससे कि वन पंचायतें कालान्तर में वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं स्वयंपोषित हो सकें। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जल संरक्षण/संग्रहण हेतु पक्के निर्माण कार्य को यथासम्भव discourage किया जाय।
3. चीड़ वनों से सम्बन्धित वन पंचायत क्षेत्रों में क्लस्टर एप्रोच (Cluster approach) अपनाते हुए क्षेत्रीय/भौगोलिक स्थिति के अनुसार 10–15 वन पंचायतों में चीड़ पिरूल से ब्रिकेट (कोयला) बनाने की एक मशीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखे जाने हेतु ताकि प्रत्येक क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले पंचायती वनों से एकत्र पिरूल से कोयला बनाने का कार्य प्रारम्भ हो सके। चीड़ पिरूल के बेहतर उपयोग हेतु प्रदेश में चीड़ बाहुल्य ब्लॉक्स मे (प्रत्येक में 2) कुल 100 स्थानों पर ब्रिकेटिंग मशीन स्थापित करने हेतु कार्यमद 1.d.11.2 Pine needles collection and its different uses – Briquetting Machine (With sustainable model) में रु0 100.00 लाख के प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह कार्य प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा कियान्वयनित किया जायेगा।
4. ऊपर इंगित समस्त बिन्दुओं एवं कार्यक्रमों का समावेश करते हुए उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 के नियम 11 एवं 12 के अनुरूप संहत प्रबन्ध योजना एवं चयनित वन पंचायतों में से प्रत्येक वन पंचायत का सहभागी माइक्रोप्लान तैयार कराकर विभिन्न स्तरों से नियमानुसार अनुमोदित करा लिए जाने एवं माइक्रोप्लान में उक्त सभी कार्यों का समावेश कर लिए जाने के समिति द्वारा निर्देश दिए गये।
5. Exposure visits (Community to community) तथा Vocational Training को शामिल करते हुए 1.d.3.3 में रु0 150.00 लाख के प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. 12089 वन पंचायतों के लिए रु0 500/– के हिसाब से वन पंचायतवार रजिस्टर, स्टेशनरी, नियमावली आदि का किट उपलब्ध कराने हेतु कार्यमद 1.d.5.1 में रु0 60.45 लाख के प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यसूची 3.8.2 के समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

<u>3.8.3 Eco-Service Delivery and Common Facility Centre की स्थापना</u> :– वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के क्रम में Eco-Service Delivery and Common Facility Centre की 10–12 वन पंचायतो के समूह पर एक सैन्टर की स्थापना वित्तीय वर्ष 2011–12 में मॉडल के रूप में (100 मॉडल) स्थापित किये जाने हेतु एवं सेन्टर की स्थापना में Infrastructure Support के लिए Seed Money के रूप में रु0 1.00 लाख प्रति सेन्टर दिये जाने हेतु NPV की तालिका 1.d के कार्य मद 1.d.14 Eco-Service Delivery Centre की निम्नांकित उप मदों में रु0 100.00 लाख के प्राविधान को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह कार्य प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा कियान्वयनित किया जायेगा।

1.d.14 Eco-Service Delivery Centre

1.d.14.1	Database and Applied Study (शोध एवं अध्ययन)
1.d.14.2	Infrastructure Development Assistance with respect to IGA (अवस्थापना विकास में आय परक गतिविधियों के दृष्टिकोण से सहायता)
1.d.14.3	Capacity Building of ESDC Staff (ई0एस0डी0सी0 कर्मचारियों की क्षमता विकास)
1.d.14.4	Livelihoods Activity Support (Eco-Tourism, MAP, Bamboo, Ringal etc.) (जीविकोपार्जन–गतिविधियों में सहयोग (ईको–टूरिज्म, MAP, बांस, रिंगाल इत्यादि))
1.d.14.5	Technology Intervention & Application (तकनीकी व उसके उपयोग के तरीके)
1.d.14.6	IEC Material (सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री)
1.d.14.7	Value Addition & Forest Products Marketing Systems (मूल्य वृद्धि एवं वन उत्पादन विपणन तंत्र)
1.d.14.8	Operational Expenses (संचालन व्यय)

प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के पत्रांक–277/PA दिनांक 08.04.2011 के द्वारा प्रेषित वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011–12 के प्रस्तावित APO का जोनवार विवरण तथा पत्रांक 327/पी.ए. दिनांक 11.05.2011 के द्वारा कैम्पा कार्यालय को प्रेषित एवं दिनांक 16.05.2011 को संचालन समिति के समक्ष वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु APO वर्ष 2011–12 का जोनवार विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त APO 2011–12 का Site Specific कार्यमदवार एवं प्रभागवार भौतिक व वित्तीय विस्तृत विवरण प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर से प्राप्त होना अपेक्षित है। उक्त के अभाव में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011–12 के लिए रु. 2625.00 लाख के APO साईज जिसका संक्षिप्त सारांश/विवरण निम्नानुसार है, उक्त पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। फील्ड स्तर पर वन पंचायतों के समस्त कार्यों का, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत से स्वीकृति प्राप्त कर, कियान्वयन किया जायेगा।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल एवं कुमाँउ)

प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय स्तर पर	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के स्तर पर गढ़वाल मण्डल हेतु	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ के स्तर पर कुमांऊ मण्डल हेतु	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी के स्तर पर 1.d.3.3 हेतु	CEO, उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर पर M&E, कन्टेन्जैन्सी तथा अन्य इत्यादि हेतु	कुल योग
840.50 लाख	841.67 लाख	736.59 लाख	100.00 लाख	106.24 लाख	2625.00 लाख

3.8.4 <u>अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संचार व्यवस्था हेतु मोबाइल फोन का Common user Facilities Plan लेने का अनुमोदन</u> :– वन विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संचार व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सभी कार्मिकों (लगभग 8000) को BSNL/Other Telecom Services के आम उपयोग समूह सुविधाएं (Common User Group Facilities) का प्लान लेने के कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदित प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वन क्षेत्राधिकारी स्तर व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु औसत रु0 500/– अधिकतम मासिक भुगतान कैम्पा निधि से करने हेतु तथा बिना हैण्डसैट के Common User Group Facilities युक्त सिम कार्ड विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त पर होने वाले व्यय को 1.e.11.1 मद (operational expenses) से वहन किये जाने की सहमति प्रदान की।

(कार्यवाही: अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

<u>3.8.5</u> <u>चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति</u>:- वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में विभागीय बजट पर्याप्त न होने के मद्देनजर उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2011-12 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में रु0 76.00 लाख की धनराशि के प्राविधान पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दायित्व राज्य सरकार का है, अतः चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कैम्पा फण्ड के बजाय राज्य सरकार के बजट से की जाय। समिति द्वारा तद्नुसार निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही: अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

<u>3.8.6 CAT Plans हेतु दिशा निर्देशों का अनुमोदन</u> :- उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत अनुमोदित CAT Plan के अंतर्गत घटकवार वित्तीय प्राविधान एवं तकनीकी बिन्दुओं के दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं पुनरावलोकन किया गया। उक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात हुआ कि सभी CAT Plans के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न घटकों के कार्यों के लिए धनराशि के प्राविधान के प्रतिशत में तथा तकनीकी सूचनाओं के संकलन में बहुत भिन्नता है। उक्त के आधार पर दिनांक 08.10.2010 को उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा CAT Plans में तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड में एकरूपता तथा क्षेत्रीय स्पष्टता लाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा CAT Plans को संशोधित कर Professionally सही बनाये जाने एवं overall framework/दिशा निर्देश को पुर्ननिश्चित (revisit) किये जाने के निर्देश दिए गये। उक्त को संचालन समिति के संज्ञान में लाया गया।

कार्यकारी समिति के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में CAT Plans के ढांचे को अन्तिम रूप देने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप सं0-238/PA दिनांक 10.01.2011 व कार्यालय ज्ञाप सं0-ख-1636/13-2(2) दिनांक 31.01.2011 के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गये जिनको मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त दिशा-निर्देशों पर फील्ड में कार्यरत वनाधिकारियों से प्राप्त Feed Back के आधार पर चर्चा की गई तथा चर्चा उपरान्त फील्ड में कार्यरत वनाधिकारियों के सुझावों को शामिल करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के दिनांक 25.03.2011 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ख 2023/13-2(2) के द्वारा संशोधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गये, उक्त दिशा निर्देशों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से जुलाई, 2011 तक CAT Plan की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने की अपेक्षा के क्रम में Entry Point Activity एवं Management Cost के लिए वर्ष 2011-12 के लिए CAT Plans हेतु Plan वार निर्धारित धनराशि में से 5% की धनराशि अवमुक्त करने हेतु एवं शेष राशि को उक्तानुसार विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त होने पर अवमुक्त करने हेतु तथा **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से अपने उपरोक्त पत्रांकों के माध्यम से जारी किये गये दिशा निर्देशों, जिनका संक्षिप्त विवरण/सारांश निम्नानुसार है, पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार्यमद 1.1.1.2 - वाहनों का क्रय/किराये पर लेना में वाहनों का क्रय शब्द को हटाते हुए केवल किराये पर (Outsourcing of vehicles) को रखते हुए उक्त दिशा-निर्देशों को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भविष्य में दिशा निर्देशों का यथाआवश्यक review कर लिया जाय** -

घटक 1- परियोजना प्रबन्धन (15%)	उपघटक	धनराशि %
	1.1 प्रशासनिक व्यय (13%)	13%
	1.2 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (2%)	2%
घटक 2 - तैयारी का फेज (10%)		
	2.1 संस्थागत पद्धति का विकास (4%)	4%
	2.2 क्षमता विकास - सामाजिक, संस्थागत एवं तकनीकी (5%)	5%
	2.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सूक्ष्म योजना सहित (1%)	1%
घटक 3 - जलागम कार्य का फेज (70%)		
	3.1 जलागम विकास कार्य (50%)	50%

	3.2 गरीबतम/सीमान्त किसानों के लिए आजीविका गतिविधियां (10%)	10%
	3.3 उत्पादन तंत्र एवं सूक्ष्म उद्यम (10%)	10%
घटक 4 – समेकन फेज (5%)	समेकन फेज	5%
	योग	100%

<u>3.8.7 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की प्लेटिनम जुबली हेतु वित्त पोषण का अनुमोदन</u> :– कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली के आवश्यक कार्यों के वित्त पोषण की व्यवस्था कैम्पा फण्ड से किए जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–671/X-2-2011-12(2)/2011 दिनांक 25.02.2011 के द्वारा वर्ष 2010–11 में रु0 97.00 लाख के निम्नांकित कार्यों हेतु राज्य कैम्पा निधि से वित्त पोषण के निर्देश प्राप्त हुए–

क्र0सं0	कार्यों का विवरण	धनराशि (लाख में)
1	कार्बेट प्लेटिनम जुबली उद्घाटन समारोह	15.00
2	कार्बेट प्लेटिनम जुबली समापन समारोह	15.00
3	कार्बेट प्लेटिनम जुबली वृत्त चित्र का निर्माण	20.00
4	कार्बेट प्लेटिनम जुबली अन्तर्राष्ट्रीय फोटो एक्जीबिशन	10.00
5	कार्बेट प्लेटिनम जुबली राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक फोटो एक्जीबिशन	10.00
6	राज्य के विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिता का आयोजन एवं पुरस्कार	02.00
7	कार्बेट प्लेटिनम जुबली 75 प्रायोजित भ्रमण (स्कूली बच्चों का)	02.00
8	कार्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांतवर्ती ग्रामीणों के प्रायोजित भ्रमण	03.00
9	अप्रत्याशित व्यय	20.00
	योग –	97.00

इस क्रम में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु रु0 97.00 लाख की धनराशि का प्राविधान NPV की तालिका 1.e के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव से उपरोक्त रु0 97.00 लाख के कार्यों में से आवश्यक रूप से किये जाने वाले कार्यों हेतु धनराशि का आंकलन मांगा गया है। प्राविधानित आंकलन आवश्यकता से अधिक प्रतीत होने के क्रम में उक्त पर वास्तविक रूप से होने वाले व्यय हेतु आंकलित की जाने वाली धनराशि के आधार पर समिति द्वारा कैम्पा निधि से व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव)

<u>3.8.8 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार NPV घटक के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदो में प्रस्तावित धनराशि के प्राविधान का अनुमोदन</u> :– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार NPV घटक के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में प्रस्तावित धनराशि के प्राविधान का निम्नानुसार समिति द्वारा चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया:–

(1) 100 जलस्रोत (नौला) मरम्मत कार्य में मरम्मत के स्थान पर पारम्परिक जलस्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन नाम देते हुये कार्यमद 1.c.2.1 Rejuvenation of Water Sources and creation of water bodies for recharging of aquifers में रु0 50.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिये गये कि इसको मनरेगा से Dovetail किया जाय एवं मनरेगा से प्राप्त होने वाली धनराशि में 25 प्रतिशत राशि को जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्राविधानित किया जाय।

(कार्यवाही: सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल)

(2) वन्य जीवों हेतु वनों के अंतर्गत फलदार वृक्षों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रजाति के फलदार वृक्षों के vegetative propagation के लिए कुमांऊ व गढ़वाल मण्डल में एक–एक नर्सरी की स्थापना हेतु कार्यमद 1.e.1.4

Development of nursery techniques for propagating of indigenous species including germination trial and vegetative methods के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता एवं अनुसन्धान के अधीन एक पौधालय की स्थापना वर्ष 2011–12 में करने हेतु रु0 75.00 लाख तथा गढ़वाल मण्डल में वन्य जीव संगठन के राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत एक पौधालय की स्थापना के लिए रु0 100.00 लाख के प्राविधान का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव एवं मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता एवं अनुसन्धान)

(3) संरक्षित क्षेत्र व वन क्षेत्रों में अश्व मार्ग/वन मार्ग के लिए कार्यमद 1.a.10.1 Repair of Bridle Path/Forest Roads में रु0 50.00 लाख का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिये गये कि धनराशि बहुत कम है, इस क्रम में इस कार्यमद को भी मनरेगा से dovetail किया जाय।

(कार्यवाही: सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल)

(4) भारत सरकार की राज्य कैम्पा के सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की गाइडलाइन के Overarching objectives and Core Principles के अनुपालन में निरीक्षण व सुरक्षा ड्यूटी करने में वाहन Forest Range level तक उपलब्ध कराने हेतु Multi Utility Camper वाहन तथा बोलेरो वाहन frontline staff के द्वारा निरीक्षण/वन सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के उपयोगार्थ क्रय हेतु कार्यमद 1.a.4.1 Purchase of new vehicle में रु0 242.00 लाख की धनराशि के प्राविधान को समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई एवं सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में अपर सचिव, वित्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर संचालन समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समिति वाहनों की आवश्यकता को Assess करते हुए उक्त वाहन राज्य सरकार के बजट में अतिरिक्त भार के रूप में शामिल न हो तथा वाहन चालक (Outsourcing से) व PoL एवं अनुरक्षण पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय कैम्पा निधि से ही किया जाय आदि पर परीक्षण करेगी, तदनुसार वाहनों के क्रय हेतु सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही: सचिव–वन एवं पर्यावरण, अपर सचिव–वित्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011–12 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना/बजट के अनुमोदन प्रदान करने में संचालन समिति द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गये:–

1. भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री वाई0पी0 चौहान, मुख्य वन संरक्षक के सुझाव के क्रम में निर्देश दिये गये कि आबादी से लगे मैदानी वन क्षेत्रों में बाउडरी पिलर निर्माण/अनुरक्षण एवं सीमांकन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से प्रारम्भिक तीन वर्षो में पूरा कर लिया जाये। तदनुसार वर्ष 2011–12 के Revised APO में प्राविधान किए जाने के निर्देश दिये।

   (कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल)

2. वन पंचायतों में fuel and fodder (ईधन व चारा) उगाये जाने पर विशेष बल दिया जाय तथा impact/result based कार्य वन पंचायतों में कराये जाय।

   (कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

उपरोक्त निर्देशों के साथ मदवार एवं प्रमागवार भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों का अवलोकन कर समिति द्वारा उक्त रूपये 11166.46 लाख की वार्षिक कार्ययोजना 2011–12/बजट को अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>कार्यसूची 3.9: कैम्पा निधि से सृजित ब्याज राशि से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के संचालन व्यय का अनुमोदन</u> :–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के वेतन व भत्तों, कार्यालय संचालन सम्बन्धी समस्त व्यय कैम्पा निधि से सृजित ब्याज राशि से किए जाने में गत वर्ष 2010–11 में कार्यालय के संचालन पर रु0 40.00 लाख की धनराशि व्यय हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रु0 132.46 लाख की धनराशि व्यय होने के अनुमान को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची 3.10: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से कार्यों को सुचारु रूप से एवं समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में :- उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से कार्यों को सुचारू रूप से एवं समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में मार्च, 2011 तक की प्रगति के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराते हुये संज्ञान में लाया गया कि गत वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना रु0 5273.74 लाख की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्ययोजना का साइज 11166.46 लाख (दो गुने से अधिक) है।

गतवर्ष के अनुभव के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कैम्पा के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रयत्न किये जाने होंगे। इस क्रम में कैम्पा के कार्यों को सुचारु रूप से एवं समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु समिति द्वारा निम्नांकित निर्देशों पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

(i) दिनांक 02 जुलाई, 2009 को जारी की गई भारत सरकार की गाइड लाइन के बिन्दु सं0–12 Disbursement of Funds के उपबिन्दु (5) में उल्लेख "State CAMPA shall release monies to the field officers in predetermined instalments as per the Annual Plan of Operation (APO) finalized" तथा उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद (नियमावली) के बिन्दु सं0–31 (2) (ड) एवं 29 (घ) के क्रम में अनुमोदित APO के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय से सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को RBI के RTGS (Real Time Gross Settlement) System अथवा NEFT (National Electronic Funds Transfer) System से धनराशि अवमुक्त करने हेतु समिति द्वारा चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

(ii) प्रभाग स्तर पर क्रियान्वयन को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिए "<u>वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किए जाने के सम्बन्ध में</u>", विषय पर, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–3408/x-2-2009-12(9)/2006 टी0 दिनांक 02.12.2009 के क्रम में क्रियान्वयन में वन पंचायतों को भागीदार बनाए जाने के सम्बन्ध में सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों के स्तर से पहल किये जाने की आवश्यकता है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित स्तरों से समयान्तर्गत क्रियान्वयन करने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल)

(iii) वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 के अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर से प्राथमिकता के आधार पर स्थल विशिष्ट की योजना सहित धनराशि की मांग उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त किया जाना नियोजन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से उचित रहेगा के सम्बन्ध में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

(iv) कार्यों को गति प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाकर समय की बचत के साथ–साथ कार्यों व प्रगति का ऑनलाइन विवरण उपलब्ध रहे, इस क्रम में सभी क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर सूचनाओं से सम्बन्धित निर्धारित प्रविष्टियों को उत्तराखण्ड कैम्पा के एम0आई0एस0 के माध्यम से समयान्तर्गत करने के लिए समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

(v) सम्बन्धित कार्यात्मक (Functional) CCF/APCCF/PCCF द्वारा CAMPA APO के क्रियान्वयन के समय उनसे सम्बन्धित गतिविधियों में उनके द्वारा अपनी Expertise सहित समन्वयन/मार्गदर्शन दिये जाने के लिए एवं कैम्पा के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करने में यथासम्भव Professionals, NGOs, केन्द्र व राज्य सरकार के Technical Organizations की नियमानुसार सेवाएं लिए जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं समस्त Functional PCCF/APCCF/CCF, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची 3.11: उत्तराखण्ड कैम्पा की लेखा पद्धति (Accounting Procedure) सम्बन्धी :- उत्तराखण्ड कैम्पा की लेखा पद्धति (Accounting Procedure) हेतु महालेखाकार (लेखा), उत्तराखण्ड से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के सम्बन्ध में अबतक प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से किये गये पत्राचार एवं बैठकों का ब्यौरा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस क्रम में महालेखाकार (लेखा), उत्तराखण्ड ने अपने पत्रांक-102/TM/CAMPA/2011-12/39 दिनांक 26.04.2011 के द्वारा अवगत कराया है कि CAG से Clarification उपरान्त कैम्पा हेतु Accounting Procedure एवं Audit के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त होने अपेक्षित हैं।

समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कैम्पा के अंतर्गत व्यय एवं लेखा हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता व वित्त नियंत्रक, वन विभाग की उपस्थिति में दिनांक 24.04.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में दिये गए विवरण/निर्देश तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक-438/PA दिनांक 27.04.2010 एवं प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के पत्रांक सं0-461/शिविर/3-6 दिनांक 02.09.2010 के द्वारा राज्य कैम्पा के संचालन की विधि के अंतर्गत कैम्पा निधि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं। उक्त जारी दिशा-निर्देशों में महालेखाकार, उत्तराखण्ड से दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक कैम्पा परियोजना के लिए पृथक से वन विभाग में लागू एवं प्रचलित अभिलेखों के संधारण हेतु अधीनस्थ को निर्देश दिए गये हैं तद्नुसार वर्तमान में कैम्पा हेतु लेखा प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इस क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि सोसाइटी पंजीकरण के अनुरूप उत्तराखण्ड कैम्पा को अपनी वार्षिक बैलेन्स-शीट, लाभ एवं हानि स्टेटमेंट भी बनाकर प्रस्तुत करनी होगी। उक्त हेतु लेखा प्रक्रिया में डबल एन्ट्री सिस्टम को अपनाए जाने की आवश्यकता होगी। कैम्पा हेतु लेखा पद्धति के लिए दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठकों में डबल एन्ट्री सिस्टम को लागू करने हेतु महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय में उक्त डबल एन्ट्री सिस्टम को अपनाया जा रहा है। इस क्रम में **कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम लागू करने हेतु समिति द्वारा चर्चाकर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक-गढ़वाल व कुमांऊ मण्डल तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा व वित्त नियंत्रक-वन विभाग)

कार्यसूची 3.12: उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारु संचालन हेतु पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में :- उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु संस्था (उत्तराखण्ड कैम्पा) में **संविदा/प्रतिनियुक्ति** पर भरे जाने हेतु निम्नांकित पदों के सृजन का प्रस्ताव पदों की ToR सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष रखा गया -

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान + ग्रेड पे	औचित्य (प्राधिकरण के अंतर्गत पद के सम्मुख अंकित कार्य)
1	प्रबन्धक–वित्त, प्रशासन एवं संसाधन प्रबन्धन (M-FARM)	01	(15600–39100) +6600	समस्त प्रशासनिक, वित्तीय व संसाधनों के प्रबन्धन का कार्य।
2	प्रबन्धक–प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (M-NRM)	01	(15600–39100) +6600	सतत वन एवं वन्य जीव प्रबन्धन के विभिन्न घटकों के कार्यों में तकनीकी सहयोग तथा ए0पी0ओ0 के निरूपण में सहयोग प्रदान करना।
3	प्रबन्धक–सामाजिक उद्यम व उद्यम विकास (M-SE&ED)	01	(15600–39100) +6600	वन पंचायतों व कैंट प्लान्स में आजीविका सम्बन्धित कार्यों से समुदाय की आजीविका संवर्द्धन में सहयोग एवं उद्यम विकास कराना।
4	प्रबन्धक–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण व ज्ञान प्रबन्धन (M-M&E, KM)	01	(15600–39100) +6600	परिणाम आधारित मूल्यांकन व अनुश्रवण तथा ज्ञान प्रबन्धन से कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर कार्यों में सतत् सुधार के उपाय करना। अध्ययन, विश्लेषण व आवश्यक रिपोर्टस आदि तैयार करना।
5	सहायक प्रबन्धक–सूचना प्रौद्योगिकी (AM-IT)	01	(15600–39100) +5400	डाटा रखरखाव में कैम्पा व कार्यान्वयन अभिकरणों को guidance, training, व MIS & Website maintenance तथा Data base से रिपोर्टस सृजन।
6	लेखाधिकारी (AO)	01	(15600–39100) +5400	लेखों का रखरखाव, ऑडिट इत्यादि व समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य।
7	लेखाकार (Accountant)	01	(9300–34800) +4200	लेखों का रखरखाव, ऑडिट इत्यादि व समस्त लेखा सम्बन्धी कार्यों में सहयोग करना।
8	वैयक्तिक सहायक (PA)	01	(5200–20200) +2800	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सहायक के रूप में समस्त कार्य।
9	तकनीकी सहायक (TA)	01	(5200–20200) +2800	प्रबन्धक–प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के समस्त कार्यों में सहयोग।
10	वरिष्ठ परियोजना सहायक (Sr. Project Assistant)	03	(5200–20200) +2400	समस्त लिपिकीय कार्य एवं फाइलों का रखरखाव व आवश्यक पत्राचार आदि।
11	परियोजना सहायक (Project Assistant)	03	(5200–20200) +2000	अधिकारियों के निर्देशन पर उनके अभिलेखों का रखरखाव, टाइपिंग एवं पत्राचार करना।
12	वाहन चालक (Driver)	02	(5200–20200) +2000	वाहन चालन का कार्य।
13	अनुसेवक (Office Astt.)	02	(5200–20200) +1800	डाक वाहक का कार्य, कार्यालय कार्यों में सहायता, परिचारक के समस्त कार्य आदि।
14	सुरक्षा गार्ड (Security Guard)	03	(5200–20200) +1800	कार्यालय परिसर की सुरक्षा व देखरेख आदि।

समिति को अवगत कराया गया कि उपरोक्त पदों के सापेक्ष Open Market से संविदा पर कर्मियों को रखे जाने की स्थिति में पदों के सापेक्ष मासिक नियत एकमुश्त भुगतान (Monthly consolidated Emoluments) की गणना बाह्य सेवा सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार की जायेगी। पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता व अनुभव के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर चयन किया जायेगा। उक्त पदों पर व्यय का वहन उत्तराखण्ड कैम्पा के नियम 31(1) (ख) के अनुसार कैम्पा निधि से सृजित ब्याज राशि से किया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त योग्य, सक्षम एवं उपयुक्त कर्मियों की भी नियमानुसार संविदा पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद के नियम–52 "संस्था के सुचारु संचालन हेतु जब–जब आवश्यकता हो, संचालन समिति में पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर सकता है" के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारु संचालन हेतु

उपरोक्त पदों के सृजन की सैद्धान्तिक स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई एवं निर्देश दिये गये कि सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में अपर सचिव, वित्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा सहित तीन सदस्यीय समिति अध्ययन कर पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त पदों के सृजन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देगी। तदनुसार उपरोक्त पदों के सृजन हेतु सम्यक निर्णय लिया जाय।

(कार्यवाही: सचिव–वन एवं पर्यावरण, अपर सचिव–वित्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची 3.13: Third Party Monitoring & Evaluation हेतु संस्थाओं व व्यक्तिगत सलाहकारों को सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में :– Third Party Monitoring & Evaluation हेतु संस्थाओं व व्यक्तिगत सलाहकारों को सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की नियमावली (संगम अनुच्छेद) के बिन्दु सं0–24 संस्था का कार्य (5) के अनुसार "निधि की 2 प्रतिशत तक की धनराशि इसी आशय से अलग रखते हुए परिणामयुक्त मूल्यांकन तथा अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) प्रणाली सुनिश्चित करना" कार्य निश्चित है।

उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से किए जा रहे कार्यों की Third Party Monitoring & Evaluation के लिए सलाहकारों को सूचीबद्ध करने हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों में EoI विज्ञापित कर उत्तराखण्ड Proucurement Rules 2008 के अन्तर्गत तीन संस्थाओं (i) Sambodhi Research & Communications (ii) The Energy and Resources Institute (TERI) (iii) Society for Natural Resources Management व 7 व्यक्तिगत सलाहकारों को सूचीबद्ध किया गया है।

सूचीबद्ध सलाहाकारों एवं उपरोक्त के क्रम में Third Party Monitoring & Evaluation हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची 3.14: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु:

3.14.1: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान किया जाना :–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कैम्पा के अंतर्गत अनुमोदित APO के सापेक्ष कार्यों को गति प्रदान करने एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन किए जाने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को कैम्पा प्राधिकरण निधि से होने वाले कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की शक्तियों नहीं है, इस पर चर्चा में प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कहा गया कि अन्य निगमों/प्राधिकरणों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कैम्पा के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को समिति द्वारा सर्वसम्मति से विभागाध्यक्ष **(HOD)** के रूप में उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण निधि से होने वाले कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की पूर्ण शक्तियॉ प्रदान की गई।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3.14.2: उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रचार–प्रसार:– उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में गतवर्ष 2010–11 की धीमी प्रगति का बिन्दु सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समिति के समक्ष रखा गया जिस पर चर्चा हुई। चर्चा में कैम्पा के कार्यों की जानकारी आम जन तथा हितभागियों तक पहुंचाने, कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वृहद प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया। चर्चा उपरान्त कैम्पा के कार्यों की जानकारी आम जन तथा हितभागियों तक पहुंचाने, कार्यक्रम के लिए पारदर्शिता की संरचना तथा युवाओं व छात्रों की वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता/जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत प्रचार एवं प्रसार की समस्त धनराशि मुख्य

कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर उनके निवर्तन पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रचार–प्रसार के कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई।

(कार्यवाही: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3.14.3: <u>वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में हुए कार्यों के फोटोग्राफ्स का प्रस्तुतीकरण</u>:– प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत किए गये कार्यों के फोटोग्राफ्स का Power Point प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में जल संग्रहण के लिए निर्मित पक्के टैंकों हेतु जलस्रोत/उनमें जल संग्रहण की तकनीकी का अभाव देखने को मिला।

इस क्रम में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल संरक्षण/संग्रहण हेतु पक्के निर्माण कार्यों को यथासम्भव discourage करते हुए सामुदायिक स्तर पर स्थानीय पारम्परिक तरीकों से जल संग्रहण व संरक्षण को बढ़ावा दिया जाय जिससे कि मृदा संरक्षण के साथ–साथ नमी व जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

(कार्यवाही: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

अध्यक्ष संचालन समिति तथा सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य समय उपलब्ध कराने तथा अपने मूल्यवान अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष, संचालन समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

200 वसन्त विहार, फेज–II, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: ceoukcampa@gmail.com

पत्रांक– 112 /संचालन समिति (iii)/2011–12 दिनांक, देहरादून, 13, ~~मई~~ जून, 2011

प्रतिलिपि :–

1. *निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।*
2. *निजी सचिव, मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।*
3. *निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के अवलोकनार्थ।*
4. *निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 नियोजन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।*

13/06/2011
(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 112 (1)/सं०प्र०(iii) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
7. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
8. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, कैम्प–चन्द्रबनी, देहरादून।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक–केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय–सैक्टर–एच, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अध्यक्ष, मातृछाया पर्वतीय विकास समिति, गजा टिहरी गढ़वाल।
12. अध्यक्ष, ग्रीन हिल वैलफेयर सोसायटी, लोहाघाट, जनपद, चम्पावत।
13. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
14. श्री विरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
15. श्री एम०ओ० अंसारी, अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

13/06/

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 112 (2)/सं०प्र०(iii) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. अध्यक्ष, स्वाती ग्रामोद्योग, धारचूला रोड, पिथौरागढ़।
11. अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव बाजार, उत्तरकाशी।
12. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड।
13. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85 राजपुर रोड, देहरादून।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप–निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड।

13/06/20

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।